मैकलुस्कीगंज में ठंड का कहर जारी, तापमान पांच डिग्री

खलारी : मैकलुस्कीगंज , खलारी सहित पूरे कोयलांचल क्षेत्र में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पर गहरा असर डाल दिया है। मैकलुस्कीगंज का शुक्रवार की सुबह न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति बन गई। तड़के उठने वाले लोगों को ठंड की ठिठुरन ने परेशान कर दिया। हालांकि धूप खिलने के बाद ठंड से राहत मिली। खेतझखलिहानों में रखे पुआल और घास पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं, जिससे किसानों और आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का यह दौर फिलहाल जारी रहेगा और आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट संभव है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अलाव की उचित व्यवस्था करने और जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने, गर्म कपड़े पहनने और सुबह शाम विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

शीतलहर, कोहरा व पाला ने बरपाया कहर

हरी सब्जियों के उत्पादन पर पचास फीसदी की कमी से किसान मायूस

संवाददाता

बेड़ो: बेड़ो प्रखंड मुख्यालय सहित प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शीत लहर से बढ़ी ठंड व तापमान के गिरने से हरी सब्जियों के उत्पादन पर असर पड़ा है। एक हफ्ते में हरी सब्जियों के उत्पादन में 50 फीसदी तक कमी आई है। पिछले एक सप्ताह से पूरे प्रखंड में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। जिसका असर पत्ता गोभी, हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन, सेम, मूली, गाजर, मटर, कद्दू, कोहड़ा, पालक व सरसों के साग समेत अन्य सब्जियों के उत्पादन पर दिख रहा है। वहीं कोहरा व पाला से सब्जियों की पत्तियां तेजी से झुलस रही हैं। झुलसा रोग से निपटने के लिए किसान कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन दवाओं का छिड़काव बेअसर साबित हो रहा है। इससे किसान परेशान हैं। वहीं

शीतलहर का सबसे ज्यादा प्रकोप आलू के फसल पर दिखने लगा है। जबकि प्रखंड क्षेत्र के गांवों में हरी सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। यहां से उत्पादित हरी सब्जियां लेने व निर्यात करने के लिए थोक व्यवसायी बेड़ो सब्जी मंडी पहुंचते हैं। वहीं सब्जी मंडी बेड़ो में सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि दिसंबर महीने में हर दिन दर्जनों ट्रक व पिकअप सहित अन्य गाड़ियों में भरकर हरी सब्जियां यहां से बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ भेजी जाती थी।वहीं बदले मौसम के मिजाज ने हरी सब्जियों का उत्पादन को कम कर दिया है। जिससे सब्जी उत्पादक घाटे में चल रहे हैं। प्रखंड के केशा, पुरियो, फादिलमर्चा, खत्रीखटंगा, करांजी,रोगो व चरिमा आदि गांवों में किसान व्यापक पैमाने पर हरी सब्जियों की खेती करते हैं। चरिमा गांव के किसान पंकज कुजुर ने बताया कि हरी सब्जियों पर झुलसा रोग का प्रकोप शुरू हो गया है। जिसे बचाने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। बावजूद इसके सब्जियों का पैदावार कम हो रहा है। नगड़ी गांव के चंदन कुमार बताते हैं कि आलू की लत्तर सूख रही है। बैंगन, टमाटर व हरी मिर्च का उत्पादन पत्तियों के सूखने से कम हो गया है।

डकरा में रैयत विस्थापित मोर्चा की बैठक

खलारी : रैयत विस्थापित मोर्चा अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता अध्यक्षता में एक बैठक डकरा स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न परियोजनाओं में व्याप्त रैयत विस्थापितों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान नौकरी, उचित मुआवजा, पुनर्वास तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित कराने को लेकर विचारझविमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री भोगता ने कहा कि क्षेत्र के किसी भी रैयत विस्थापित को उसका हक और अधिकार दिलाना मोर्चा की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने मोर्चा के सभी पदाधिकारियों से ईमानदारीपूर्वक संगठन के प्रति कार्य करने का आग्रह किया।

ICICI Bank

पंजिकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क, रेस कोर्स सर्कल, वडोदरा- 390007
कॉर्पोरेट कार्यालय:आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई),मुंबई-400051
शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, BP-4, टेक्नोपोलिस बिल्डिंग, चौथी मंजिल, सेक्टर V, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता पश्चिम बंगाल-700091

मृतक कर्जदार के कानूनी वारिसों के खुलासे के लिए नोटिस
सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि LBDHB00005397327, LBDHB00006151832 (ऋण सुविधा) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) द्वारा संजीव कुमार टेकरीवाल के साथ-साथ मृतक आशा देवी टेकरीवाल को दी गई थी। उक्त ऋण सुविधा आशा देवी टेकरीवाल द्वारा गिरवी के माध्यम से सुरक्षा हित बनाकर सुरक्षित की गई है, जो स्पेस नंबर 306 307 308 309, ओजोन सेंटर स्पेस नंबर 306 307 308 309, बैंक मोर, खाता नंबर 93, झारखंड, धनबाद-826001 में स्थित संपत्ति के संबंध में है।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि बैंक अधिकारियों द्वारा किए गए फील्ड विजिट और पंजिकृत संपर्क नंबरों पर टेलीफोन संचार के दौरान हमें आशा देवी टेकरीवाल की मृत्यु के बारे में पता चला है। इस संबंध में, मृतक कर्जदार के कानूनी वारिसों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, 23 दिसंबर, 2025 को कर्जदारों और मृतक आशा देवी टेकरीवाल के रजिस्टर्ड पतों पर पहले ही एक पत्र भेजा गया था।

इसलिए, बैंक के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर, मृतक आशा देवी टेकरीवाल के कानूनी वारिसों का विवरण सहायक दस्तावेजों के साथ साझा करने के लिए यह नोटिस दिया जाता है। आप ऊपर बताई गई डिटेल्स श्री राहुल शर्मा को ICICI बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, संयुक्त टावर, बरवा रोड, बरटांड, धनबाद, झारखंड, धनबाद-826001 पर जाकर जमा कर सकते हैं।

तारीख: 26 दिसंबर, 2025
स्थान: धनबाद (झारखंड)

हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी
ICICI बैंक लिमिटेड के लिए

खागा के दत्तोपंत सेंटर में हुआ पीएम विकास योजना का शुभारंभ

संवाददाता

देवघर: दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार)क्षेत्रीय निदेशालय ,धनबाद एवं आसनसोल के संयुक्त तत्वाधान में पालाजोरी प्रखण्ड अन्तर्गत खागा में स्थित ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेंटर(दत्तोपंत ठेंगड़ी) में आज पी एम विकास योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट कोर्स का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक सी डब्ल्यू वैद्य ने दीप प्रज्वलित कर किया।अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने पीएम विकास योजना पर प्रकाश डालते हुए स्किल डेवलपमेंट की वर्तमान आवश्यकता एवं प्रासंगिकता पर विशेष बल देते हुए बेरोजगार युवाओं के मध्य रोजगार का सृजन हेतु इसे नितांत आवश्यक बताया। इस अवसर पर बोर्ड के वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारी राज किशोर गोप भी उपस्थित थे। गोप ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए तथा प्रधानमंत्री विकसित एवं कौशल भारत के सपनों

को साकार करने के लिए इस प्रकार के योजनाओं को भारत सरकार द्वारा पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है। बोर्ड द्वारा यह कार्यक्रम अल्प संख्यक मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा प्रायोजित की गई है। इस कार्यक्रम में लगभग 100 शिक्षित युवक एवं युवतियों को चिन्हित कर उनका नामांकन किया गया है। अभी इस कार्यक्रम में सहायक मिस्त्री तथा सहायक इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो क्रमशः 360 तथा 390 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप है। कोर्स की समाप्ति के बाद सभी प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की ओर से प्रमाण पत्र तथा निर्धारित छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालय,आसनसोल के शिक्षा अधिकारी सब्यसाची सरकार भी आमंत्रित किए गए थे। उद्घाटन समारोह में अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ एवं शाल ओढ़ाकर किया गया। ट्राई के नवीन छात्राओं के द्वारा इस अवसर पर रंगारंग तथा दत्तोपंत सेंटर के कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई।

प्रेम प्रसंग से जुड़ी दर्दनाक घटना

केडीएच कॉलोनी में गोलीकांड ,लड़की को गोली मारकर युवक ने की आत्महत्या

संवाददाता

खलारी : शुक्रवार सुबह खलारी थाना क्षेत्र के केडीएच मैदान गेट के पास उस समय सनसनी फैल गई जब कॉलोनी की एक युवती को उसके प्रेमी ने गोली मार दी। इसके बाद आरोपी युवक अपने घर पहुंचकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार युवक सुनील केवट और युवती पायल के बीच पिछले लगभग छह वर्षों से प्रेम संबंध था। इस बीच युवती की शादी तय होने के बाद उसने युवक से दूरी बना ली थी। इसी बात को लेकर युवक तनाव में था। बताया जाता है कि युवक ने आत्महत्या से पूर्व एक वीडियो भी

बनाया, जिसमें उसने अपने प्रेम संबंध और धोखा मिलने की बात कही है। दोनों ही केडीएच कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल युवती को तत्काल सीसीएल के डकरा क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। घटना सुबह करीब साढ़े आठ बजे की है, जब पायल स्थानीय निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही थी।

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस),
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7th मंज़िल,
प्लाट P-6,7,8, से.-5, आई.एम.टी. मानेसर,
गुड़गाँव, हरियाणा - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

(कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में)

सार्वजनिक नोटिस : ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2025-26/1624 दिनांक: -19/12/2025

संदर्भ:

1.कम्पनी अधीनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (2) कम्पनियों का नाम झारखंड राज्य से हटाने के मामले में:

S.No	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB9394680	U35201JH2024PTC023678	एआर टेरा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
2	AB9614402	U66190JH2025PTC023945	ज़ैनोपे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रुप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

इरफान तिर्की
उप-पंजीयक
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र

CBC 07123/11/0541/2526

सरकार झारखंड आंदोलनकारियों के प्रति सकारात्मक सोच रखे, परिणाम अच्छे होंगे: पुष्कर महतो

सिल्ली : झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला के तत्वावधान में सिल्ली विधानसभा स्तरीय बैठक प्रखंड अंतर्गत बंता स्थित पंचायत भवन में हुई। बैठक में झारखंड आंदोलनकारी के राजकीय मान सम्मान अलग पहचान, आश्रितों को रोजी रोजगार नियोजन की सौ प्रतिशत की गारंटी तथा जेल जाने के बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी को सम्मान पेंशन राशि 50- 50 हजार रु, झारखंड आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन करने तथा समूह बीमा एवं चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की मांग सरकार से की गई। साथ ही 3 जनवरी 2026 को रांची में आयोजित मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर आहुत मुख्यमंत्री आभार यात्रा में हजारों की संख्या में भाग लेने का निर्णय किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में सिल्ली - पंच परगना का संघर्ष और शहादत सबसे बड़ा योगदान रहा है। सरकार झारखंड आंदोलनकारियों के प्रति सकारात्मक सोच रखे, परिणाम अच्छे होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण नौकरियों में एवं प्रमाण पत्र देकर कृतार्थ किया है,उसके प्रति 3 जनवरी 2026 को मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर रांची में मुख्यमंत्री आभार यात्रा कर सम्मानित करेंगे। केंद्रीय सचिव प्रो. रतनलाल महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना ही होगा।

संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक घोषणा
कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड
(दिवालियापन एवं दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया
(परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए)

ई-नीलामी बिक्री सूचना
कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड (कैपीपीएल) (परिसमापन प्रक्रिया में)
(सीआईएन: U40106WB2008PTC125570)

कॉर्पोरेट देनदारों (सीडी) की संपत्तियों को "जैसी है, जहां है", "जैसी है, जो भी है", "जो भी उपलब्ध है" और "बिना किसी सहारा के" आधार पर बेचा जा रहा है और इसलिए उक्त निपटान किसी भी प्रकार की गारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है.

परिसंपत्तियों का विवरण	सीडी का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.)	10% ईएमडी (रु.)
झारखंड के सरायकेला-खरसावा जिले के मौजा (पंचायत संख्या 832404, पंचायत - घुन्नाबुरु, डाकघर - बंसा, पुलिस स्टेशन - चौका) में स्थित लगभग 40.1233 एकड़ भूमि के पट्टे के अधिकार का हस्तांतरण; शेष पट्टा अवधि लगभग 5 वर्ष 3 माह है।	कैपीपीएल	3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये मात्र)	30,00,000/- (तीस लाख रुपये मात्र)
पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना (दक्षिण) के कोलकाता हट ग्राम पंचायत के अंतर्गत, डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन (अब राम नगर) के जे.एल. नंबर 19, बिरपना के मौजा में स्थित 6.5 डेसिमल केवफल वाली भूमि, कॉर्पोरेट देनदार के स्वामित्व में है।		1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये)	10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)

इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई), धारा 29ए घोषणा, गोपनीयता वचन और पात्रता मानदंड के अनुसार अन्य दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि शनिवार, 10.01.2026 को शाम 5:00 बजे या उससे पहले है, जिससे यह उल्लेख हो कि वे संहिता की धारा 29ए के तहत किसी भी प्रकार की अनियमितता से ग्रस्त नहीं हैं, जहां तक लागू हो, और यदि किसी भी स्तर पर अपात्र पाए जाते हैं, तो जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

योग्य बोलीदाता घोषित करने की अंतिम तिथि - सोमवार 12.01.2026
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: गुरुवार 22.01.2026, शाम 6:00 बजे या उससे पहले
नीलामी के अंतर्गत संपत्तियों के निरीक्षण या उचित जांच की अंतिम तिथि: बुधवार 14.01.2026 से बुधवार 21.01.2026
बोली वृद्धि मूल्य:
1. सरायकेल भूमि के पट्टे के अधिकार के हस्तांतरण के लिए 2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र)
2. पश्चिम बंगाल के बिरपना जिले के मौजा स्थित भूमि की बिक्री के लिए 5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये मात्र).
नीलामी की तिथि और समय: मंगलवार, 27.01.2026, सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच।

i. https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home नीलामी प्रदाता का लिंक है। नीलामीकर्ता के संपर्क विवरण - support.baanknet@psballiance.com, फोन +91 8291220220
ii. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र, आईबीसी, 2016 की धारा 29ए के तहत पात्रता की घोषणा और अन्य केवाईसी दस्तावेज़ जैसे आवश्यक दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा करने होंगे। खरीदारों के लिए मार्गदर्शिका उपरोक्त नीलामी प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
iii. ईएमडी को मार्गदर्शिका में दिए गए विवरण के अनुसार नीलामी प्लेटफॉर्म पर जमा करना होगा।
iv. परिसमापक के संपर्क विवरण yogeshgupta31@rediffmail.com / liqkohinoor@gmail.com और +91 9831752939

एसडी/-
योगेश गुप्ता
कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए परिसमापक
रजि. क्रमांक IBBI/IPA-001/IP-P00349/2017-18/10650
ई-मेल: yogeshgupta31@rediffmail.com; liqkohinoor@gmail.com
पंजीकृत पता: एम/एस. एस. जयकिशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सूट नंबर 2डी, 2ई, दूसरी मंजिल, 12, हो ची मिन्ह सरानी, कोलकाता - 700071
संपर्क पता: 104, एस.पी. मुखर्जी रोड, हाउरा एरिया, सागर ट्रेड क्यूब, दूसरी मंजिल, कोलकाता - 700026
दिनांक: 24/12/2025
स्थान: कोलकाता
एएफए - AA1/10650/311225/107664 दिनांक 08/11/2024 वैधता अवधि - 31.12.2025

Affidavit

I, Shahnwaz Akhtar, S/o S.S. Ahmad Resident of 2A Arafat Enclave Jamia Nagar Kadru, P.O. Ashok Nagar, P.S. Argora District Ranchi Jharkhand do hereby solemnly declare vide affidavit No. 829 dated 26.12.2025, that my name Shahnawaz Akhtar has been entered in my Aadahr Card, being Aadhar No. 4968 5821 0806 & PAN CARD No. AEIPQ6933Q. Which is my actual name, but my name Mohammad Shahnawaz Akhtar has been entered in my Passport being Passport No. P3724564. I will be known by my actual name Shahnawaz Akhtar for ever and every where & I will do my work & Signature in my actual name which shall be published in Gazettee to for my further Identification.

आईसीआईसीआई होम फाइनैंस

कॉरपोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059, भारत
शाखा कार्यालयः तीसरी मंजिल, अमरावती कॉमप्लेक्स, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची-834001, झारखण्ड

(नियम 8(6) के प्रावधान देखें) अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आमतौर पर जनसाधारण तथा विशेष रूप से कर्जदार(ों) तथा गारंटर(ों) को सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के समक्ष गिरवी पर रखी गई है/प्रभारित की गई है, आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कंपनी लि. के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है, उसकी यहां नीचे उल्लेखित संक्षिप्त विवरण के अनुसार "जैसे है जहां है", "जैसे है जो कुछ है" तथा "यहां जो कुछ है" के आधार पर बिक्री की जाएगी:

क्र. सं.	कर्जदारों/सह कर्जदारों/गारंटरों/वैध उत्तराधिकारियों के नाम, ऋण खाता सं.	प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण साथ में ज्ञात ऋण भार, यदि कोई है	बकाया रकम	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि जमा	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	नीलामी की तिथि व समय	नीलामी तिथि से एक दिन पहले	सरफेसी चरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)
1.	शांति देवी (कर्जदार) लक्ष्मण महतो (सह-कर्जदार) एलएएन संख्या LHRNI00001359718 एवं LHRNI00001362059	प्लॉट सं.-404 मौजा-नगरी, थाना-नगरी, थाना सं. 122, आरएस खाता सं. 166 झारखण्ड-835303	रु. 5,59,904.88/- 19 दिसंबर 2025	रु. 21,04,200/- / रु. 2,10,420/-	21 जनवरी, 2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक	28 जनवरी, 2026 अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक	27 जनवरी, 2026 अपराह्न 05.00 बजे से पहले	प्रतीकात्मक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी वैल्यू ट्रस्ट कैपिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (यूआरएल लिंक-https://BidDeal.in) पर संचालित की जाएगी। गिरवीदाताओं/देयिति को 27 जनवरी, 2026 को अपराह्न 05.00 बजे से पहले कुल बकाया के साथ भावी ब्याज की रकम चुकता करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा इन प्रत्याभूत सम्पत्तियों को ऊपर उल्लेखित अनुसूची के अनुसार बिक्री कर दी जाएगी। प्रत्याशित बोलीदाताओं को आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड, इस सूचना के सबसे ऊपर उल्लेखित शाखा के पते पर, के पास 27 जनवरी, 2026 को अपराह्न 04.00 बजे तक अथवा उससे पहले बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) के रूप में जमा करना होगा। प्रत्याशित बोलीदाताओं को आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड, इस सूचना के सबसे ऊपर उल्लेखित शाखा के पते पर, के पास 27 जनवरी, 2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक अथवा उससे पहले पंजीकरण प्रपत्र एवं बोली नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भी जमा करनी होगी। बयाना राशि जमा "आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड-ऑक्शन" के पक्ष में इस सूचना के सबसे ऊपर उल्लेखित शाखा कार्यालय के पते पर भुगतेय राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में होनी चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के नियम एवं शर्तों अथवा निविदाओं के जमा करने के संबंध में आने के किसी भी तरह के स्पष्टीकरण के लिए कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर सम्पर्क करें।

अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें कृपया https://www.icicihfc.com/ देखें।

तारीख : 27 दिसंबर, 2025
स्थान: रांची

अधिकृत अधिकारी, "आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड",
सीआईएन संख्या: U65922MH1999PLC120106

AXIS BANK

एक्सिस बैंक लिमिटेड
पता- दूसरी मंजिल, सीता उषा स्क्वायर, कंकरबाग. मैन रोड, कंकरबाग, पटना-800020

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने बैंक से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान में डिफॉल्ट किया है और उक्त सुविधाएं गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गई हैं। उन्हें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे, हालांकि वे अप्राप्त रहे और इस प्रकार उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

	उधारकर्ता का नाम और पता उधारकर्ता और गारंटर	जिस संपत्ति पर ऋण लिया गया है, उसका पता	A) सूचना की दिनांक B) NPA की दिनांक	ऋण वितरित	बकाया राशि (नोटिस की तारीख के अनुसार)
1	दीपक कुमार (उधारकर्ता) पुत्र-जय प्रकाश सिंह पता - हाउस नंबर 24 वार्ड नंबर 22 एचके साह लेन जलसर रोड देवघर झारखंड-814112 रीता सिंह (सह-उधारकर्ता / गारंटर) पत्नी-जयप्रकाश सिंह पता- वार्ड नंबर 22. हरि किशन साह लेने देवघर, झारखंड-814112	सभी टुकड़े, गैर-कृषि आवासीय भूमि और निर्मित भवन का वह टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 5200 वर्ग फुट है, जो टाउन प्लॉट नंबर 508 का हिस्सा है, जमाबंदी नंबर 30052 के तहत, जिसका होल्डिंग नंबर 0070001040000AT है, देवघर नगर निगम के वार्ड नंबर 7 के भीतर, गांव श्यामगंज मौजा श्यामगंज पीएस देवघर पीएस नंबर 413. झारखंड में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं पूर्व: बाजु शान की भूमि बाजु शर्मा की भूमि; पश्चिम कमला देवी और अन्य की भूमि; उत्तर हर किशन साह रोड; दक्षिण टी.बी वार्ड अस्पताल और अशरफी चौधरी की भूमि. यह संपत्ति रीता सिंह के नाम पर सेल डीड नंबर 475 तारीख 10.12.2012 के तहत पंजिकृत है	A)24-06-2025 B) 01-05-2025	29,00,000/- ऋण खाता क्रमांक से. - 92203000 2054050 & 922030 002054063	44,41,148/- (चौवालीस लाख इकतालीस हजार एक सौ अड़तालीस रुपये मात्र)
2	कृष्णकांत दुबे उधारकर्ता पिता: पुरुषोत्तम दुबे पता: E7-2C सेल सिटी न्यू पुंदाग रांचीझारखंड 834004 सुमन दुबे (सह-उधारकर्ता/गारंटर) पत्नी: कृष्णकांत दुबेनिवासी E7-2C सेल सिटी, न्यू पुंदागरांची झारखंड 834004	गैर-कृषि आवासीय फ्लैट का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसका फ्लैट नंबर E7-2C है, जो सेल सिटी नामक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक E-7 की दूसरी मंजिल पर स्थित है, जिसका सुपरबिल्टअप एरिया 1925 वर्ग फुट है, साथ ही 674 वर्ग फुट अविभाजित आनुपातिक भूमि का हिस्सा भी है, जो रांची नगर निगम रांची के वार्ड नंबर 43 के तहत खाता नंबर 276 के RS प्लॉट नंबर 4962 और 4964 के हिस्से पर बना है, जो गांव पुंडाग, थाना-जगन्नाथपुर, थाना नंबर 228, जिला-रांची, झारखंड में स्थित है। और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पश्चिम RS प्लॉट नंबर 4960; पूर्व RS प्लॉट नंबर 4963 और 4965; उत्तर RS प्लॉट नंबर 4936,4932,4965; दक्षिण RS प्लॉट नंबर 4961, 4963. यह संपत्ति कृष्णा कांत दुबे और सुमन दुबे के नाम पर बिक्री विलेख संख्या 2831 दिनांक 12.12.2012 के तहत पंजीकृत है।	A) 25-06-2025 B) 01-05-2025	रु.60,30,000 ऋण खाता क्रमांक से. 9210300 49059871	63,76,772.48/- तिरेसठ लाख छिहत्तर हज़ार सात सौ बहत्तर रुपये और अड़तालीस पैसे

ये कदम नोटिस की बैकल्पिक सेवा द्वारा उठाए जा रहे हैं। ऊपर बताए गए उधारकर्ता और/या गारंटर (जहां भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर ऊपर बताए गए बकाया राशि का भुगतान भविष्य के ब्याज और लागू शुल्कों के साथ कर दें, ऐसा न करने पर इस नोटिस की तारीख से 60 दिन पूरे होने के बाद प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की